


नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री



रघुवर दास
मुख्यमंत्री

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

Standard Operating Procedure (SOP)

किफायती आवास
परियोजना

Revised
(संशोधित)

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार

प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी)

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को किया गया है तथा मिशन के क्रियान्वयन हेतु "स्कीम दिशा-निर्देश 2015" निर्गत किये गये हैं। यह मिशन वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा। मिशन के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) के परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्लू0एस0) रू0 3.00 लाख तक वार्षिक आय वर्ग वाले परिवार माने जायेंगे। मिशन का उद्देश्य आधारभूत सिविक (नागरिक) अवस्थापना सहित 27-30 वर्गमीटर के कारपेट एरिया तक के आवासों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है।

2. योजना का विवरण :-

2.1. स्थिति:-

राज्य में आवासविहीनों के मांग के आधार पर अलग-अलग निकायों में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते हुए आवश्यकतानुसार G+3 / G+6 / G+8 संरचना के अनुरूप आवासों का निर्माण प्रस्तावित है।

2.2. योजनान्तर्गत निर्माण किए जाने वाले आवासीय परिसरों के मुख्य प्रावधान निम्नवत् हैं:-

- प्रत्येक आवास का Carpet Area 27-30 वर्ग मी० तक का होगा। प्रत्येक आवास में एक कमरा, एक हॉल (Hall), एक रसोई (Kitchen), एक शौचालय (Toilet) एवं एक स्नानघर (Bath Room) होगा।
- आवश्यक आधारभूत संरचना जैसे- चाहरदिवारी, प्रवेश द्वारा, सड़क, नाली, सिवरेज, पाईपलाईन, जलापूर्ति, आंतरिक विद्युतीकरण, बाह्य विद्युतीकरण, स्ट्रीट लाईट, वर्षा जल संरक्षण ठोस/द्रव्य अपशिष्ट प्रबंधन, जल शोषण संयंत्र, प्रदूषित जल प्रबंधन, सामुदायिक भवन, सामुदायिक कार्यालय का भी निर्माण किया जाएगा।
- आवास का निर्माण National Building Code (NBC) के मापदण्डों के अनुरूप किया जाएगा तथा झारखण्ड भवन उप-विधि-2016 के प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा।

2.3. योजनान्तर्गत निर्माण किए जाने वाले आवासों की लागत लगभग रू० 7.00 लाख से रू० 8.00 लाख संभावित है। प्रसंगाधीन योजना हेतु केन्द्रांश, राज्यांश एवं लाभुक अंशदान निम्नवत् होंगे :-

केन्द्रांश - रू० 1.50 लाख

राज्यांश - रू० 1.00 लाख

लाभुक अंशदान-परियोजना लागत (प्रति आवास) की शेष राशि।

2.4. पात्रता:-

- 2.4.1. योजनाओं के अन्तर्गत लाभुक के परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बच्चे शामिल होंगे। जिस लाभार्थी परिवार का भारत के किसी भी भाग (स्थान) में अपने अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर अपना पक्का घर नहीं है, वही परिवार इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगा।
- 2.4.2. इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी कमजोर आर्थिक वर्ग (EWS) के ही होंगे, जिनकी वार्षिक आय रू0 3.00 लाख या रू0 3.00 लाख से कम होगी।
- 2.4.3. ऐसे आवेदक जिन्होंने भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना के अंतर्गत अनुदान/छूट का लाभ नहीं लिया हो।
- 2.4.4. लाभुक की पात्रता के लिए कट-ऑफ-डेट (Cut-of-date) मिशन के शुभारम्भ की तिथि अर्थात् दिनांक-17.06.2015 मान्य होगी या 17.06.2015 के पूर्व के निवासी अभ्यर्थी ही योग्य लाभार्थी समझे जाएंगे।
- 2.4.5. लाभार्थी को योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उक्त कट-ऑफ-डेट के पूर्व उस शहरी क्षेत्र/स्लम का निवासी होना अनिवार्य है।
- 2.4.6. लाभार्थी का स्थानीय निकाय क्षेत्र का Voter ID Card होना अनिवार्य है।
- 2.4.7. लाभुक का आधार कार्ड एवं बैंक एकाउंट संख्या होना अपेक्षित है।
- 2.4.8. लाभुक मिशन के विभिन्न घटकों में से केवल एक ही घटक का लाभ ले सकते हैं।

3. योग्य लाभुकों के चयन के संबंध में निकाय/एजेंसी के दायित्व :-
योजना क्रियान्वयन के लिए पात्र लाभुकों की सूची, उनके द्वारा लाभुक अंशदान एवं उनकी सहमति आवश्यक है। निम्न दायित्वों-निर्वहन संबंधित नगर निकाय संबंधित परामर्शी एजेंसी के साथ समन्वय बनाकर करेंगे:-
- 3.1. योजना का प्रचार-प्रसार करते हुए कैंप लगाकर योग्य लाभुकों की सूची सभी वांछित/अनिवार्य दस्तावेजों (Consent Form सहित) के साथ निकायों को उपलब्ध करायगी।
 - 3.2. स्थान, लेआउट प्लॉन, बिल्डिंग प्लान, फ्लोर प्लान, सुविधाएं एवं आवेदन के शुरुआत और अंतिम तिथि जैसे परियोजनाओं की विवरण निकाय के विभिन्न स्थानों पर होर्डिंग्स, विज्ञापन, Radio Jingles, माइकिंग, शिविर, वार्ड सभा, सभी ऑटो रिक्शा एवं Local Bus पीछे विज्ञापन इत्यादि के माध्यम से योजना का प्रचार-प्रसार कराना।
 - 3.3. उक्त लाभुकों की सूची को संबंधित DPR के साथ संलग्न कराना।
 - 3.4. उक्त सूची को MIS में Upload कराना।
 - 3.5. लाभुक को आवास आवंटन की प्रक्रिया में सहयोग कराना।
 - 3.6. आवासीय परियोजना हेतु आवंटित लाभुकों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
 - 3.7. आवासीय परियोजना अंतर्गत Resident Welfare Association (RWA) का गठन करना।
4. आवेदन प्रक्रिया:
आवेदन निम्नांकित माध्यमों से किया जा सकता है :-
- विकल्प-I लाभार्थी द्वारा स्वयं शहरी एवं आवासन मंत्रालय के वेबसाइट www.pmaymis.gov.in के माध्यम से निःशुल्क आवेदन किया जा सकता है (Annexure-I)।
- विकल्प-II लाभार्थी द्वारा Common Service Center (CSC) के माध्यम से आवेदन वेबसाइट के माध्यम से रुपये 25/- (वस्तु एवं सेवा कर अतिरिक्त) शुल्क भुगतान के साथ किया जा सकता है।
- विकल्प-III लाभार्थी नगर निकाय से आवेदन पत्र, घोषणा पत्र एवं लाभुक सहमति पत्र का प्रारूप प्राप्त कर Offline भी भरकर निकाय में जमा कर सकते हैं।
- 4.1. उपरोक्त तीनों में से किसी एक विकल्प को अपनाते हुए लाभुक को सहमति पत्र जमा करना होगा। उक्त सहमति पत्र (Consent Form) विभागीय वेबसाइट www.udhd.jharkhand.gov.in से डॉउनलोड किया जा सकता है, अथवा निकाय से प्राप्त कर सकते हैं।
 - 4.2. पूर्व में आवेदन कर चुके लाभुक, वेबसाइट पर पूर्व से भरे आवेदन में सूचनाएँ उपरोक्त विकल्पों से चुनते हुए अद्यतन कर सकते हैं, तत्पश्चात् उसे संबंधित निकाय में जमा करना होगा।
5. सुयोग्य लाभुकों के आवेदनों की जाँच
- 5.1. PMAY(U) के निर्धारित दिशानिर्देशों के आलोक में निकाय द्वारा आवेदनों की जाँच की जाएगी, जाँच उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों को 'पात्र लाभार्थी' माना जाएगा।
 - 5.2. अनुमोदित 'पात्र लाभार्थियों' की सूची Website और निकाय सूचना-पट में प्रकाशित की जाएगी एवं नियमित अंतराल पर अद्यतन की जाएगी।
 - 5.3. अनुमोदित 'पात्र लाभार्थियों' के Data base को आगे की प्रक्रिया के लिए चयनित बैंक को उपलब्ध करा दिया जाएगा।
6. योजनावार आवासों हेतु पंजीकरण
- 6.1. इच्छुक 'पात्र लाभार्थी' समय सीमा के भीतर निकाय में उपलब्ध पृथक-पृथक आवासीय परियोजनाओं में आवेदन कर सकते हैं।
 - 6.2. अलग-अलग आवासीय परियोजनाओं के लिए योजना विवरणीका (Project Brochure) विभाग/निकाय के Website से निःशुल्क Download किया जा सकता है अथवा संबंधित निकायों से 200/- (Non Refundable) भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। योग्य लाभार्थी योजना विवरणीका (Project Brochure) में संलग्न चालान में सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) के रूप में 5000/- रु० की राशि निर्धारित बैंकों में जमा कर सकते हैं। यदि लाभार्थी आवास आवंटन के पूर्व आवेदन वापस ले लेता है अथवा जो

लाभार्थी प्रतीक्षासूची में होंगे, उन्हें उनकी सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) की राशि वापस कर दी जायेगी।

6.3. आवंटित आवास के लाभुकों का सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) 5000/- रु० आगे उनके द्वारा दिए जाने वाले अग्रिम राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।

6.4. बैंक के द्वारा पंजीकरण की तिथि समाप्त होने के उपरांत प्राप्त सभी आवेदनों की मूल प्रति अभिस्वीकृति प्रपत्र (चालान) के साथ नगर निकाय के कार्यालय में जमा किया जाएगा।

7. आवास आवंटन की व्यवस्था

7.1. आवास आवंटन हेतु समिति का गठन:-

आवास आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु जिलावार एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष/सदस्य निम्नवत् होंगे:-

- निकाय (राँची/धनबाद को छोड़कर) के जिला के उपायुक्त/
नगर आयुक्त राँची, धनबाद — अध्यक्ष
- संबंधित निकायों के नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त
कार्यपालक पदाधिकारी/ विशेष पदाधिकारी/उपायुक्त के प्रतिनिधि — सदस्य
- लाभुकों के एक प्रतिनिधि — सदस्य

8. आवास आवंटन की प्रक्रिया

8.1. लॉटरी की तारीख और स्थान विज्ञापन और Website के माध्यम से सूचित किया जाएगा। लॉटरी व्यवस्था के तारीख और स्थान के बारे में आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित नहीं किया जाएगा।

8.2. किसी भी प्रस्तावित आवासीय परियोजना के आवासों के आवंटन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

8.2.1. लॉटरी के माध्यम से सभी आवेदित लाभुकों का वरीयता सूची तैयार की जाएगी।

8.2.2. उक्त वरीयता सूची से ही वरिष्ठ नागरिक एवं दिव्यांगजन (Locomoter) की भी वरीयता सूची अलग से तैयार की जाएगी।

8.2.3. निकाय उक्त लॉटरी प्रक्रिया का Video graphy कराना सुनिश्चित करेंगे एवं लॉटरी की पूर्व निर्धारित तिथि का वृहद प्रचार-प्रसार करेंगे। संबंधित वरीयता सूची निकाय अपने Website में Upload करेंगे एवं इसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से देना सुनिश्चित करेंगे।

8.2.4. वरीयता सूची के आधार पर लाभार्थियों को उक्त आवासीय परियोजना के नक्शे (जिसमें आवासीय परियोजना के ब्लॉक, फ्लैटों की संख्या अंकित होगी) में से फ्लैट को चुनने का मौका मिलेगा।

8.2.5. यदि कोई वरीयता सूची का लाभार्थी फ्लैट का चयन नहीं करता है, तो उसके द्वारा जमा सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) वापस कर दी जाएगी।

8.2.6. यदि कोई चयनित लाभार्थी एक माह के अन्दर लाभुक अंशदान का अग्रिम राशि जमा नहीं करता है तो उनके द्वारा जमा की गई सुरक्षा जमा राशि, (Security Deposit) रु० 5000/- (पांच हजार रुपये) जब्त कर ली जाएगी।

8.2.7. यदि कोई लाभार्थी आवास आवंटन की तिथि को अनुपस्थित रहता है तो उनके आवंटन को रद्द मानते हुए सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) वापस कर दी जाएगी।

8.2.8. सफल आवंटियों की सूची Website, समाचार पत्र और निकाय सूचना-पट में प्रकाशित की जाएगी।

8.2.9. यदि किसी आवेदक द्वारा आवेदन की गई परियोजनाओं में से किसी एक परियोजना में आवंटन प्राप्त होता है तो किसी अन्य परियोजनाओं के लिए उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी।

9. आरक्षण:-

9.1. लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले आवासों में से भूतल अथवा प्रथम रिहायसी तल दिव्यांगजन (Locomoter) के लिए आरक्षित होंगे एवं G+1 अथवा द्वितीय रिहायसी तल (जहाँ भूतल पर पार्किंग की व्यवस्था हो) वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित होंगे।

- 9.2. आवास आवंटन के क्रम में दिव्यांगजन (Locomoter) के लिए आरक्षित भूतल अथवा प्रथम रिहायसी तल आवास यदि रिक्त रह जाते हैं तो उक्त आवास, वरिष्ठ नागरिकों को आवंटित कर दिये जायेंगे। वरिष्ठ नागरिक न मिलने की स्थिति में उक्त आवास, सामान्य (अनारक्षित) कोटि के लोगों को आवंटित कर दिये जायेंगे।
- 9.3. यदि वरिष्ठ नागरिकों को आरक्षित G+1 अथवा द्वितीय रिहायसी तल आवास रिक्त रह जाते हैं तो उक्त आवास, सामान्य (अनारक्षित) कोटि के लोगों को आवंटित कर दिये जायेंगे।

10. आवंटन के प्रावधान

- 10.1. आवासों का आवंटन पूर्ण स्वामित्व (Freehold) के आधार पर किया जायेगा।
- 10.2. योजनान्तर्गत लाभुकों को आवास एवं सन्निहित जमीन का स्वामित्व, 15 वर्षों के lock in period के बाद या लाभुक के वित्तीय संस्थान से लिए गए गृह ऋण से मुक्त होने के बाद, जो बाद में हो, दिया जाएगा।
- 10.3. योजनान्तर्गत लाभुकों का आवंटित आवास प्रथम 15 (पन्द्रह) वर्षों तक अहस्तांतरणीय होगा, किन्तु उक्त आवंटित आवास संबंधित लाभुकों के वैधानिक उत्तराधिकारियों के नाम लाभुक के मरणोपरांत हस्तांतरित किया जा सकेगा।
- 10.4. योजनान्तर्गत चयनित लाभुकों द्वारा ससमय ऋण का पुनर्भुगतान नहीं करने की स्थिति में आवास आवंटन रद्द करते हुए नये पात्र लाभार्थी को आवास आवंटित किया जा सकेगा।
- 10.5. आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में दी गई जानकारी गलत साबित होने पर आवंटन रद्द कर दिया जाएगा तथा ऐसे आवेदक कानूनी कार्रवाई के जिम्मेदार होंगे।

11. आवंटन पत्र

- 11.1. उक्त आवास आवंटन पत्र में ब्लॉक क्रमांक, तल संख्या, आवासीय इकाई क्रमांक संख्या, आवासीय इकाई की कुल लागत एवं नियमानुसार लाभुक द्वारा जमा किये जाने वाले शेष राशि का Schedule उल्लेखित होगा।
- 11.2. आवंटी को आवास आवंटन के 30 दिनों अन्दर अग्रिम राशि रु० 20,000/- बैंकर्स चेक/डी0डी0/RTGS /NEFT/ के माध्यम से Jharkhand Affordable Housing Development Fund (JAHDF) में जमा करानी होगी। तत्पश्चात् आवास का "विक्रय के लिए एकरारनामा" (Agreement of Sell) की मूल प्रति आवंटी को निकाय के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। लाभुक द्वारा यदि बैंक से, ऋण लिया जाएगा तो "विक्रय के लिए एकरारनामा" (Agreement of Sell) सीधे संबंधित बैंक को उपलब्ध करा दी जाएगी।
- 11.3. लाभुक को अंशदान की शेष राशि निर्माण कार्य शुरू होने के पश्चात् कंडिका संख्या- 13.1 के अनुसार बराबर किस्तों में बैंकर्स चेक/डी0डी0/RTGS के माध्यम से Jharkhand Affordable Housing Development Fund (JAHDF) में जमा करानी होगी। तत्पश्चात् संबंधित लाभुक को उक्त आवास का कब्जा (Possession) दिया जाएगा।
- 11.4. लाभुकों को आवासों से संबंधित समय-समय पर लागू होनेवाले विभिन्न करों यथा समस्त निकाय कर, स्थानीय निकायों या शासन द्वारा निर्गत नियम/उपनियम के अंतर्गत लगने वाले करों का भुगतान, कब्जा लेने की तिथि से समय-समय पर करना अनिवार्य होगा।

12. आवंटित आवासों का समर्पण/रद्दीकरण (निरस्तीकरण)

- 12.1. यदि कोई चयनित लाभुक आवंटित आवास की पहली किश्त के भुगतान समय सीमा के अन्दर नहीं कर सकेगा तो उनके द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण राशि को जब्त कर ली जाएगी। एवं उक्त आवास का आवंटन वरीयता सूची के क्रम के आधार पर किया जाएगा।
- 12.2. आवास आवंटन के समर्पण के बाद यदि कोई लाभुक किसी अन्य परियोजना में आवेदन करना चाहता है तो, वैसे परिस्थिति में उक्त लाभुक को नये सिरे से नई आवासीय परियोजनाओं में आवेदन करना होगा।

13. लाभुक अंशदान की देय राशि

13.1. आवास आवंटन के पश्चात् आवेदक को निम्नानुसार राशि जमा करानी होगी।

क्र०	किश्त	विवरण	आवासीय इकाई के मूल्य की राशि
1.		सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit)	रु० 5,000/-
2.	प्रथम किश्त	आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिन के अंदर	रु० 20,000/- अग्रिम राशि
3.	द्वितीय किश्त	लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 25% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुक अंशदान -25,000 रु०) का 25 प्रतिशत राशि
4.	तृतीय किश्त	लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 50% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुक अंशदान -25,000 रु०) का 25 प्रतिशत राशि
5.	चतुर्थ किश्त	लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 75% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुक अंशदान -25,000 रु०) का 25 प्रतिशत राशि
6.	पंचम किश्त	लाभुक के आवासीय ब्लॉक के निर्माण का 90% कार्य पूर्ण होने पर	(लाभुक अंशदान -25,000 रु०) का 25 प्रतिशत राशि

13.2. आवंटी लाभुक, लाभुक अंशदान का भुगतान संबंधित निर्माणाधीन ब्लॉक के प्रगति (निर्माण प्रतिशत) के आधार पर करेगा।

14. ऋण के लिए सुविधा

14.1. आवास पात्रता के बाद लाभुक अंशदान के भुगतान के लिए जिन लाभुकों को स्वयं के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी, उन्हें वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में निकाय द्वारा सलाह एवं सहायता प्रदान की जाएगी।

14.2. इस संबंध में बैंकों से लाभुकों को ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में सहूलियत (Facilitation) के लिए निदेशालय/Implementing Agency के द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थानों के साथ द्विपक्षीय MOU किया जाएगा।

14.3. लाभुकों द्वारा लिए गए ऋण का भुगतान बैंकों द्वारा निर्धारित मापदण्डों/औपचारिकताओं के अनुसार करना होगा।

15. भ्रामक अभ्यावदेन अथवा तथ्यों का छिपाना :-

15.1. यदि पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गयी हैं अथवा उसने वास्तविक तथ्यों को छिपाया है, तो प्लैट का आवंटन किसी भी चरण में बिना बताये निरस्त किया जा सकता है, उसे भविष्य में होने वाले आवंटन प्रक्रिया में भाग लेने से भी वंचित भी कर दिया जायेगा। साथ ही जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।

16. आवासों का प्रयोग:-

आवंटी द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। आवंटी अपने अनुसार प्लैट का स्वरूप बदल नहीं सकते हैं।


17. अन्यान्य महत्वपूर्ण सूचनायें:-


17.1. उपरोक्त के अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में किसी भी नियम/शर्त के संशोधन का सर्वाधिकार नगर विकास एवं आवास विभाग को निहित होगा, जो समस्त आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगे।

17.2. योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के समय भवनों के क्षेत्रफल में न्यूनानुपात परिवर्तन संभव है, जो कि अंतिम रूप से बाद में सूचित किया जायेगा, जिसे आवंटी को स्वीकार करना होगा।

17.3. इस योजना से संबंधित प्रत्येक मामले में नगर विकास एवं आवास विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

- 17.4. किसी भी विवाद की दशा में राँची न्यायालय को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।
- 17.5. आवेदक आवेदन के पूर्व ही परियोजना स्थल को जाँच के पश्चात् संतुष्ट होकर आवेदन देगें बाद में किसी प्रकार का परियोजना स्थल के संबंध में दावा मान्य नहीं किया जायेगा।
- 17.6. आवासीय परियोजना परिसर में व्यवसायिक गतिविधियों यथा दुकान, सामुदायिक केन्द्र इत्यादि के माध्यम से राजस्व संग्रहण का कार्य Resident Welfare Association द्वारा किया जाएगा। संग्रहित राजस्व के माध्यम से आवासीय परियोजना का रख-रखाव (Maintenance) किया जाएगा।





प्रधान मंत्री
आवास योजना-शहरी
(निकाय का नाम)

लाभुक की मूल प्रति

आवास प्रपत्र

Survey-ID

दिनांक

आवेदक का पूरा नाम:.....

आवेदक का पूरा पता :.....

.....

आवेदक का बैंक खाता सं०

बैंक का नाम /शाखा

IFSC Code

परियोजना का नाम जहाँ लाभुक इच्छुक है.....


बैंक का नाम जहाँ आवेदन पत्र जमा कर रहे है:.....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

याचान संख्या :

तिथि एवं समय:



प्रधान मंत्री
आवास योजना (शहरी)
(निकाय का नाम)

निकाय की प्रति

आवास प्रपत्र

Survey-ID

दिनांक

आवेदक का पूरा नाम:.....

आवेदक का पूरा पता :.....

.....

आवेदक का बैंक खाता सं०

बैंक का नाम /शाखा

IFSC Code

परियोजना का नाम जहाँ लाभुक इच्छुक है.....


बैंक का नाम जहाँ आवेदन पत्र जमा कर रहे है:.....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

याचान संख्या :

तिथि एवं समय:



प्रधान मंत्री
आवास योजना (शहरी)
(निकाय का नाम)

बैंक की प्रति

आवास प्रपत्र

Survey-ID

दिनांक

आवेदक का पूरा नाम:.....

आवेदक का पूरा पता :.....

.....

आवेदक का बैंक खाता सं०

बैंक का नाम /शाखा

IFSC Code

परियोजना का नाम जहाँ लाभुक इच्छुक है.....

बैंक का नाम जहाँ आवेदन पत्र जमा कर रहे है:.....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

याचान संख्या :

तिथि एवं समय:

